न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
33/2022	10.03.2022	22.06.2022

अनवान

1. हरीराम पिता गणेश जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हीराजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

––प्रार्थी

बनाम

1. पोखर पिता गणेश जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हीराजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
2. भग्गु पिता कालुराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हीराजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
3. दयाराम पिता काना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हीराजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
4. गेहरीलाल पिता राम लाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हीराजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।(विलोपित)
5. भैरू पिता नारायण जाति जाट आयु वयस्क निवासी हीराजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।(विलोपित)
6. अमरा पिता गणेश जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हीराजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

––अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री कृष्णचन्द्र तुल्छिया — प्रार्थी
एक तरफा — अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:26:13 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस [illegible] है कि [illegible] अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि[illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हीराजी का खेडा पटवार हल्का [illegible] कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–[illegible] 136 में अभिलिखित [illegible]ीयात आराजी संख्या 971 रकबा 0.25 है0, आराजी [illegible]या 176 रकबा 0.42 है0 [illegible] आराजी संख्या 180 रकबा 0.04 है0 प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की

जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 22.06.2022 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 6 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाही। अतः कार्यवाही ड्राप की जाती है। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा हीराजी का खेडा पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 136 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 971 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 176 रकबा 0.42 है0 व आराजी संख्या 180 रकबा 0.04 है0, कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालन[illegible] आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्र[illegible] स[illegible]के पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करें।
पत्रावली की निर्णित इन्द्रा[illegible]श्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 22.06.202[illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:26:13 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन